कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-29.05.2022

लार्ड बुद्धा एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से धोखाधड़ी कर लोगों का पैसा हड़पने के मामले में वांछित अभियुक्त अर्पण सोनी थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा मध्य प्रदेश से गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-115/2021 धारा 417,420,467,468,406,504,506,471,120,120B भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अर्पण सोनी पुत्र रादेन्द्र सोनी निवासी-17 कुबेर नगर देवास म0प्र0 हाल मुकाम शिल्पविला-3 नियर मुखी नगर खोडेयाल नगर न्यू करैली बाग सियाजीपुरा जनपद बड़ौदा गुजरात को रामनगर देवास यात्री विश्राम शेड मध्य प्रदेश से दिनांक-28.05.22 को समय करीब 12.25 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना शिवपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-दिनांक-01.03.2021 को वादी मुकदमा श्री अशोक कुमार सिंह पुत्र राम नाथ सिंह निवासी परमानन्दपुर शिवपुर (प्रधानाचार्य विकास इन्टर कॉलेज) के द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना शिवपुर मे मु0अ0सं0-115/2021 धारा 417,420,467,468,406,504,506,471,120,120B भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अर्पण सोनी पुत्र रादेन्द्र सोनी निवासी-17 कुबेर नगर देवास म0प्र0 हाल मुकाम शिल्पविला-3 नियर मुखी नगर खोडेयाल नगर न्यू करैली बाग सियाजीपुरा जनपद बड़ौदा गुजरात उम्र करीब 30 वर्ष।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त अर्पण सोनी ने पूछताछ करने पर बताया कि मै सोशल सर्विस NGO EIPS EDUCATIONAL SOCIETY का संचालन करता था तथा स्किल डेवलपमेण्ट और कोचिंग इन्सटीट्यूट भी चलाता था। मेरी शैक्षिक मामलो में अच्छी जानकारी थी और इसी जानकारी कि वजह से काफी लोग मुझे जानते थे। करीब 04 वर्ष पूर्व धर्मेन्द्र कुमार ने मुझे फोन कर मुझसे बात की और अपने ट्रस्ट लार्ड बुद्धा एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट में शामिल होने का आमन्त्रण दिया। इसके बाद मै धर्मेन्द्र कुमार चैयरमैन के ट्रस्ट में कार्य करने लगा। धर्मेन्द्र कुमार सीआरपीएफ मे नौकरी करता है तथा लार्ड बुद्धा ट्रस्ट एवं जीवन ज्योति चेरीटेबल ट्रस्ट चलाता है। इस ट्रस्ट के माध्यम से समाज के धनाधड्य एवं सीधे-साधे लोगों के साथ छल-कपट कर बेइमानी पूर्वक ट्रस्ट के नाम के कूटरचित दस्तावेज व बैंक चेक बतौर गारण्टी के रुप मे देकर भारी धनराशि नगद व बैंक चेक के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अपने-2 बैंक खातों मे अपने-2 लाभ के लिए प्राप्त करते है। इसी क्रम मे दो सेमीनार इलाहाबाद मे एवं एक सेमिनार विकास इण्टर कालेज परमानन्दपुर शिवपुर वाराणसी मे आयोजित करके अशोक कुमार सिंह प्रबन्धक विकास इण्टर कालेज को बेईमानी पूर्वक लार्ड बुद्धा ट्रस्ट के माध्यम से सोलर समरसेबिल पम्प, स्किल डेवलपमेंट ट्राइबल जातियो की छात्रवृत्ति,सीखो कमाओ प्रोजेक्ट,नई रोशनी,प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना प्रोजेक्ट,भारतीय पट्रोलियम प्रोजेक्ट आदि करीब डेढ दर्जन प्रोजेक्ट के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उनके वर्क आर्डर प्रदान कर करीब 75 लाख रुपया नगद तथा बैक खाते मे 53 लाख रुपया ट्रांसफर कराये है तथा लोगो को इकट्ठा कर लोक लुभावन अभिभाषण देकर फसाने का कार्य करते है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. अ0नि0 नरेन्द्र कुमार मिश्रा थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 प्रशिक्षु सौरभ तिवारी थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी